न्यायालय–अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डोली, जिला बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी	:	रिंकू कुमार (आर.जे.एस.)
फौजदारी विविध प्रकरण संख्या	:	243 / 2021
सीआईएस नंबर	:	281 / 2021
CNR No.	:	RJBD120011512021

मेनका कुमारी बनाम कालूलाल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा दिनांकित 02.08.2023 दस्तावेजात पर प्रदर्श डालने बाबत

उपस्थितः–

1. श्रीमती रेखा माहेश्वरी–विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थिया।
2. श्री शम्भूदयाल शर्मा–विद्वान अधिवक्ता वास्ते अप्रार्थी।

–:: आदेश ::– दिनांक 20 मई, 2024

01. इस आदेश के द्वारा प्रार्थिया मेनका कुमारी की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 02.08.2023 बाबत दस्तावेजात पर प्रदर्श डालने का निस्तारण किया जा रहा है।

02. प्रार्थिया की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किये कि प्रार्थिया ने अपने साक्ष्य में अप्रार्थी के सरकारी दस्तावेज पेश करने हेतु दिनांक 29.05.2023 को सूचना के अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र सयुक्त निदेशक पशु पालन विभाग बून्दी को प्रेषित किया गया था, लेकिन उक्त प्रार्थना पत्र की सूचना प्रार्थिया को उक्त विभाग द्वारा दिनांक 07.07.2023 को प्राप्त हुई है, लेकिन प्रार्थिया की श्रीमान के समक्ष साक्ष्य प्रार्थिया हेतु अन्तिम अवसर दिया जाकर दिनांक 03.07.2023 को पेशी नियत की गई थी, उक्त पेशी पर प्रार्थिया के बयान लेखबद्ध कर लिये गये है। उक्त पत्रावली पर आज प्रार्थिया के पिता छोटूलाल का शपथ पत्र साक्ष्य में पेश किया गया है, जिसे अप्रार्थी के उक्त दस्तावेजो को पेश कर प्रदर्श करवाना चाहती है। जिसे प्रार्थिया को उचित न्याय मिल सके। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थिया का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पेसिंल व नियुक्ति प्रमाण पत्र को रिकार्ड पर लिया जाकर प्रदर्श डालने की कृपा करें।

03. उक्त प्रार्थना पत्र की नकल अप्रार्थी के अधिवक्ता को दिलाई गई, जिन्होंने जवाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थिया द्वारा दिनांक 29.5.2023 को सूचना के अधिकार के तहत सयुंक्त निदेशेक पशुपालन विभाग को प्रेषित करने की अप्रार्थी को जानकारी नहीं है। प्रार्थिया अपने प्रार्थना पत्र के संबंध में अपनी स्वयं की साक्ष्य पूर्ण कर चुकी है। प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज होने योग्य है। अन्य आक्षेप में कथन किया है कि प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की प्रतियों अप्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थी के अधिवक्ता से प्राप्त की थी लेकिन जिरह पर आपत्ति प्रकट करने पर दस्तावेज की प्रतियां प्रार्थिया के अधिवक्ता ने वापस ले ली है ऐसी स्थिति में प्रार्थिया किन दस्तावेजात को न्यायालय में पेश

करना चाहती है तथा किन दस्तावेजात पर प्रदर्श डलवाना चाहती है दस्तावेजो की प्रतियां वापस दिलाये बिना प्रार्थना पत्र का पूर्ण जवाब पेश किया जाना संभव नहीं है। वैतन स्लिप व नियुक्ति प्रमाण पत्र पर स्वयं प्रार्थिया की अपनी साक्ष्य के माध्यम से प्रदर्श डलवा सकती थी लेकिन प्रार्थिया की साक्ष्य पूर्ण हो जाने के कारण प्रार्थिया के बिना उक्त दस्तावेजात पर अन्य गवाह से प्रदर्श नहीं डलवाया जा सकता क्योंकि उक्त दस्तावेजात गवाह के नहीं है या तो दस्तावेजात को प्रदर्श स्वयं प्रार्थिया करवायेगी या फिर दस्तावेज जारी करने वाला संस्था प्रधान प्रदर्श डलवायेगा, क्योंकि एन.ए.डब्लू 2 जो कि प्रार्थिया का पिता है जिनका उक्त दस्तावेजात ने कोई संबंध व सरोकार नहीं है। प्रार्थिया के गवाह के द्वारा प्रदर्श डलवाये जाने का विधिक रूप से कोई प्रावधान नहीं है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे और दस्तावेज पर प्रदर्श डालने की अनुमति प्रदान नहीं करने की कृपा करे।

04. बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्ष सुनी गई, दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थिया ने मुख्यतः अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किए है कि प्रार्थिया ने अपने साक्ष्य में अप्रार्थी के सरकारी दस्तावेज पेश करने हेतु दिनांक 29.05.2023 को प्रार्थना पत्र संयुक्त निदेशक पशु पालन विभाग बून्दी को प्रेषित किया था, लेकिन उक्त प्रार्थना पत्र की सूचना प्रार्थिया को उक्त विभाग द्वारा दिनांक 07.07.2023 को प्राप्त हुई है, लेकि प्रार्थिया के बयान लेखबद्ध कर लिये गये है। उक्त पत्रावली पर आज प्रार्थिया के पिता छोटूलाल का शपथ पत्र साक्ष्य में पेश किया गया है, जिसे अप्रार्थी के उक्त दस्तावेजों को पेश कर प्रदर्श करवाना चाहती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

05. दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया है कि वैतन स्लिप व नियुक्ति प्रमाण पत्र पर स्वयं प्रार्थिया की अपनी साक्ष्य के माध्यम से प्रदर्श डलवा सकती थी लेकिन प्रार्थिया की साक्ष्य पूर्ण हो जाने के कारण प्रार्थिया के बिना उक्त दस्तावेजात पर अन्य गवाह से प्रदर्श नहीं दिलावाया जा सकता क्योंकि उक्त दस्तावेजात गवाह के नहीं है या तो दस्तावेजात को प्रदर्श स्वयं प्रार्थिया करवायेगी या फिर दस्तावेज जारी करने वाला संस्था प्रधान प्रदर्श डलवायेगा। एन.ए.डब्लू 2, जो कि प्रार्थिया का पिता है, जिनका उक्त दस्तावेजात ने कोई संबंध नही है प्रार्थिया के गवाह के द्वारा प्रदर्श डलवाये जाने का विधिक रूप से कोई प्रावधान नहीं है। अतः प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

06. पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करे तो उक्त दस्तावेजात प्रमाणित दस्तावेजात है, जो सूचना के अधिकार के तहत संयुक्त निदेशक पशु पालन विभाग बून्दी द्वारा प्रार्थिया को अप्रार्थी की आय पे–स्लिप बाबत सूचना दी गयी थी। उक्त दस्तावेज न्यायालय के मत में अप्रार्थी की आय से सम्बन्धित महत्वपूर्ण एवं सुसंगत दस्तावेज हैं। अतः उक्त दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिया जाना न्यायसंगत है। हालांकि प्रकरण में प्रार्थिया की साक्ष्य लेखबद्ध हो चुकी है तथा उक्त दस्तावेजात को प्रार्थिया द्वारा ही प्राप्त किया गया है। अतः उक्त दस्तावेजात पर प्रदर्श डालने का

अधिकार भी प्रार्थिया को अपनी साक्ष्य के माध्यम से ही दिया जाना न्यायसंगत है। इस सम्बन्ध में प्रार्थिया अपनी साक्ष्य के माध्यम से दस्तावेजात पर प्रदर्श डालने हेतु नियमानुसार प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु स्वतन्त्र है।

07. अतः प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 02.08.2023 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि पत्रावली पर संलग्न उक्त दस्तावेजात अप्रार्थी कालूलाल मीणा का नियुक्ति आदेश तथा पे–स्लिप की सत्यापित प्रतिलिपि को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

(रिंकू कुमार)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
हिण्डोली, जिला बून्दी

08. आदेश आज दिनांक 20 मई, 2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिंकू कुमार)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
हिण्डोली, जिला बून्दी